28/10/25 फाइल [illegible] दर्ज हुयी। [illegible] किया जाता है

विस्तृत निर्णय पृथक से [illegible] शामिल

पत्रावली किया जाकर [illegible] मुताबिक

नियम के अन्तर्गत दाखिल दफ्तर की आदेश हुआ

जावे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:28:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–60/10 तारीख रजु:–05.10.10

उनवान

मूर्ति मंदिर जी श्री महादेवजी व हनुमानजी विराजमान बंदरी के हनुमान करौली तहसील व जिला करौली जरिये नेक्स्ट फ्रेण्डस एवं दर्शनार्थी

1. शिम्भु पुत्र अर्जन उम्र 66 साल जाति कहार निवासी तांबे की टोरी करौली तहसील करौली
2. मन्जू पुत्र मांगी उम्र 45 साल जाति माली निवासी स्टेडियम के पीछे मौजगिर के अखाडे के सामने करौल तहसील व जिला करौली (मृतक)
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जमुनाप्रसाद उम्र 58 साल जाति ब्राहम्ण निवासी तांबे की टोरी करौली तहसील व जिला करौली

–वादी

बनाम

1. दौलतगिरी पुत्री कमलगिरी उम्र 65 साल जाति गिरी गुसाई निवासी बंदरी के हनुमान के पास करौली तह व जिला करौली (मृतक)
   1/1. भगवानगिरी चेला शिष्य दौलतगिरी उम्र 45 साल जाति गिरी गुंसाई निवासी मौजगिर का अखाडा करौली तह0 व जिला करौली
2. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार तह0 व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा एवं कायम किये जाने रिसीवर

–::निर्णय::–

दिनांक :–28/10/25

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नम्बरान 2539 रकवा 1 वीघा 8विस्वा किस्म बारानी, खसरा नम्बर 2544 रकवा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 2545 रकवा 17 विस्वा, खसरा नम्बर 2562 रकवा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 2563 रकवा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 2564 रकवा 5 वीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 3769 लगायत 3772 एवं 3774 एवं 3785 एवं खसरा नम्बर 3786 व खसरा नम्बर 3789 व खसरा नम्बर 3790 किता 15 कुल रकवा 11 वीघा 12 बिस्वा सिंचित कस्बा करौली मंदिर मूर्ति महादेव जी व हनुमानजी स्थान बंदरी के हनुमान कस्बा करौली पटवार हल्का 8 करौली में स्थित है। यह आराजीयात मूर्ति मंदिर महादेव जी व हनुमानजी की खुद काश्त की खातेदारी व कब्जे की है। जिनके खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड आफ राईटस जमाबंदी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015 में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.04.20 17:28
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि वादपत्र के साथ पेश है। आराजीयात खसरा नम्बर 2539, 2544, 2545 एवं 2562, 2563 एवं 2564 कुल किता 6 कुल रकवा 8 बीघा 12 बिस्वा दर्ज वाद पत्र मद नम्बर 1 मूर्ति मंदिर श्री महादेव जी व हनुमानजी बिराजमान मौसूमा स्थान बंदरी के हनुमान कस्बा करौली में है। यह आराजीयात मूर्ति मंदिर महादेव जी हनुमानजी की तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खुद काश्त भूमि मूर्ति महादेव जी व हनुमानजी हैं इन आराजीयात में पुजारी को सेवायत को व्यवस्थापक को कोई खातेदारी अधिकार मूर्ति मंदिर भूमि पर विधि अनुसार प्राप्त नहीं होते है मूर्ति मंदिर भूमि का पुजारी–व्यवस्थापक खातेदार नहीं हो सकता है ना ही पुजारी के हक में सेवायत में हक में मूर्ति मंदिर भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है मूर्ति मंदिर खातेदार होता है मूर्ति मंदिर शाश्बत नाबालिग है और शाश्बत नाबालिग की, खातेदारी भूमि पर पुजारी का सेवायत को अन्य किसी व्यक्ति को विधि अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते हैं ना ही पुजारी ऐसी भूमिका विधि अनुसार खातेदार हो सकता है। यह प्रावधान धारा 46 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में स्पष्ट है। बाद पत्र के इस पैरा में दर्ज भूमि कृषि भूमि है। मूर्ति मंदिर भूमि जनहित की भूमि होती है जनहित के उददेश्य के लिए भूमि होती है पुजारी एवं सेवायत व्यवस्थापक मूर्ति मंदिर के प्राकृतिक संरक्षक भी नही हैं। वस्तुतः संरक्षक/डिफैक्टेड गार्जियन की स्थिति में होते हैं देव मूर्ति मंदिर की खातेदारी की भूमि मूर्ति मंदिर की मिल्कियत की भूमि का प्राकृतिक संरक्षक द्वारा भी बिना जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अनुमति के हस्तान्तरण नही होता है। और बिना जिला न्यायालय अनुमति को मंदिर भूमि का हस्तान्तरण अवैध होता हैं। यह विधि द्वारा स्थापिक व्यवस्था है। भमि दर्ज बाद पत्र पैरा नं 2 मूर्ति मंदिर महादेव जी हनुमानजी की राग भोग व्यवस्था के लिए है एवं इस भूमि के हुए अनाधिकार, बिला आधार अवैध खातेदारी इन्द्राज बहक दौलतपुरी चेला शंकरपुरी जाति गुसाई निवासी कस्बा करौली प्रतिवादी नं 1 के हक में हुए है वह पूर्णतः विधि विरूद है प्रभावहीन व शून्य है और हक हकूक खातेदारी मूर्ति मंदिर महादेव जी व हनुमानजी विराजमान बंदरी का हनुमान मौसूमा करौली पर प्रारम्भतः प्रभावहीन व शुन्य है बाध्यकारी नही है विधि अनुसार पुजारी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जा सकता है। पुजारी को मूर्ति मंदिर भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। राजस्व विभाग द्वारा ऐसे परिपत्र भी राजस्व कार्यालय को अधिकारियों को जारी किये हुए है वादी मूर्ति मंदिर महादेव जी व हनुमानजी विराजमान कस्बा करौली मौसूमा बंदरी का हनुमान दर्ज बाद पत्र पेश नं 2 में दर्ज आराजीयात का अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है और वादी मूर्ति मंदिर महादेव जी हनुमानजी विराजमान कस्बा करौली के हक में राजस्व रिकार्ड आफ राईटस जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी

Signature Not Ver
Digitally signed by Pre
Date: 2026.04.20 17:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दौलतपुरी शंकरपुरी का विधिवत शिष्य नही है। प्रतिवादी कमलगिरी का जन्मदाता पुत्र है प्रतिवादी दौलतपुरी ने राजस्व कर्मीयों से मिलकर बिला आधार अनाधिकार तौर पर वादी मंदिर मूर्ति की खातेदारी व कब्जे की भूमि के स्थान पर अपने हक में अवैध तौर पर बिना आधार खातेदारी इन्द्राज करा लिए है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी दौलतगिरी मूर्ति मंदिर महादेवजी हनुमानजी का रक्षक नहीं होकर भक्षक बन गया हैं। और राजस्व कर्मीयों भी प्रतिवादी से साज कर गये है प्रतिवादी दौलतगिरी के हक में किया गया खातेदारी इन्द्राज पूर्णत अवैध प्रभावहीन व शून्य होने से परिणाम स्वरूप इन्द्राज पूर्ण रूप से राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने योग्य है वादी जो कि कस्बा करौली के स्थाई निवासी नागरिक है और मूर्ति मंदिर महादेव जी हनुमानजी मौसूमा बंदरी के हनुमान कस्बा करौली के दर्शनार्थी है और वादी मूर्ति मंदिर के नैक्सड फ्रेण्ड हितेषी है। दावा पेश करने के अधिकारी है। प्रतिवादी दौलतगिरी के हक में हुए अवैध व प्रभावहीन व शुन्य खातेदारी इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी के बदनीयति आ गई है और वह वादपत्र के पैरा नं 2 में दर्ज वादी मुर्ति मंदिर भूमि को भूमि के स्वरूप को प्राकृतिक स्थल रमणीय स्थल पर्यावरण युक्त स्थल को नष्ट कर बदल कर दीगर व्यक्तियों को भूमि बेचान कर अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर हस्तान्तरण दस्तावेज तहरीर कर एवं पंजीयन कराकर वादी मूर्ति मंदिर महादेव जी हनुमानजी के खातेदारी व कब्जे व खुद काश्त की भूमि को दीगर व्यक्तियो को हस्तानतरण करने पर तुला हुआ है आमदा हो रहा है प्रतिवादी दौलतगिरी ने बेचान बातचीत भूमि हस्तान्तरण करने की दीगर व्यक्तियो से कर ली है और भूमि हस्तान्तरण दस्तावेज वयनामा पंजीयन करने पर आमदा हुआ। तब मंदिर के हक व हित को ध्यान में रखते हुए वादी राजेन्द्र ने लोहची माली, वीरेन्द्र, पुष्पेन्द्र द्वारा जिला कलेक्टर करौली को दिनांक 30.4.2010 को आवेदन किया तब जिला कलेक्टर करौली द्वारा तहसीलदार करौली को आवेदन पर आदेशित किया कि मंदिर भूमि का बेचान नही करें। तब वयनामा पंजीयन से रूक सका प्रतिवादी दौलतगिरी को वादपत्र पैर नं 2 में दर्ज भूमि जो कि वादी मंदिर की खातेदारी व कब्जे की भूमि है को विधि की किसी भी रीति से हस्तान्तरण करने का हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन कराने का विधिक अधिकार नहीं है। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व भूमि बेचान नही करने की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी नं 2 ने भूमिदर्ज वादपत्र पैरा नं 2 यह जानकारी में स्थित कस्बा करौली के सम्बन्ध में वादी मूर्ति मंदिर की भूमि जानकारी व ज्ञान में वादीगण द्वारा व अन्य नागरिकगण द्वारा लाये जाने के बाद भी प्रतिवादी नं 2 ने प्रतिवादी नं 1 के विरूद कोई विधि सम्मत कार्यवाही जानबूझकर नही की है। प्रतिवादी नं 2 प्रतिवादी नं 1 के प्रभाव में असर में है प्रतिवादी नं 1 हौसले अवैध खातेदारी इन्द्राज पर और इसके विरूद प्रतिवादी नं

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Ve
Digitally signed by Pr
Date: 2026.04.20 17:
Reason: SelfAttested

2 द्वारा मूर्ति मंदिर भूमि के सम्बन्ध में विधिवत कार्यवाही नही करने से राजस्व रिकार्ड में मंदिर के हक में भूमि मूर्ति के हक में इन्द्राज खातेदारी वादी द्वारा करने पर भी नही करने से प्रतिवादी नं1 ने भूमि हस्तान्तरण करने की बदनीयति से भूमि स्वरूप परिवर्तन करने के लिए कृषि भूमि को आवास हेतु विकय कर अनुचित तौर पर लाभ प्राप्त करने को वादी मंदिर को अनुचित तौर पर नुकसान पहुंचाने पर बाद पत्र के पैरा नं 2 में दर्ज आराजी में 25.9.2010 को एल एन टी चलाकर सैकडो हरे वृक्षो को एल एन टी से उखाड दियार है और प्रतिवादी दौलतगिरी इस भूमि को बेचान कर वादी मंदिर मूर्ति की कृषि भूमि में आवासीय निर्माण करने, कराने पर तुला हुआ है वादीगण ने प्रतिवादी दौलतगिरी से यह अनाधिकार कार्य नही करने को दिनांक 25.9.2010 को कहा है परन्तु प्रतिवादी नं 1 दौलतपुरी वादीगण से आमदा फिसाद है झगडाकरने पर तुला हुआ है प्रतिवादी नं 2 भी वादीगण के निवेदन करने पर कोई पर कोई ध्यान नही दे रहे है प्रतिवादी नं 2 व उसके अधीनस्थ कर्मीयो ने हरे वृक्षों को नष्ट करने के क्रम में भी देवमूर्ति मंदिर भूमि के स्वरूप परिवर्तन के सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही नही की जा रही है। प्रतिवादी ने 2 भी मूर्ति मंदिर महादेवजी व हनुमानजी के हितो की रक्षा नही करवा रहे हे कर रहे हैं इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना, वादी मूर्ति मंदिर के हित में आवश्यक हुआ है वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वादग्रस्त भूमि दर्ज बाद पत्र पैरा नं 2 के बेचान नही करने बाबत भूमि स्वरूप परिवर्तन नही करने कराने बाबत पर्यावरण नष्ट नही करने, कराने बाबत हस्तान्तरण दस्तावेज नही करने, कराने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वादी प्रतिवादी के विरूद प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी द्वारा पेश राजस्व रिकार्ड खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2015 से बाद पत्र के पैरा नं 2 में दर्ज भूर्मि देवमूर्ति मंदिर श्री महादेवजी व हनुमानजी स्थित कस्बा करौली के खातेदारी व कस्बे की भूमि है। प्रतिवादी नम्बर 1के खातेदारी व कब्जे की भूमि नहीं है मंदिर की खुद काश्त भूमि है वादी मंदिर द्वारा प्रतिवादी नं 1 के हक में भूमि बेचान हस्तान्तरण विधि अनुसार नही किया गया है। वादी मंदिर की भूमि पर विधि अनुसार प्रतिवादी नं 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। मूर्ति मंदिर की भूमि को पुजारी अपने हक में विधि अनुसार खातेदारी इन्द्राज नही करा हैं किसी व्यक्ति को मूर्ति मंदिर की भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है मूर्ति मंदिर की भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा अधिकार कानूनी नही होता है और कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति विरोध में मूर्ति मंदिर भूमि में खातेदारी आधिकार प्राप्त नही होते है प्रतिवा नम्बर 1 द्वारा अपने हक में कराया गया नामान्तकरण व खातेदारी इन्द्राज पूर्णःतकपट पूर्ण है विधि विरूद है प्रभावहीन व शून्य है जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है। हटाये जाने योग्य है प्रतिवादी नम्बर 1 के हक में कियाा गया नामान्तकरण विधि विरूद है

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.04.20 17:28:38 IS
Reason: SelfAttested

वादी मूर्ति मंदिर को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रतिवादीगण द्वारा नही दिया गया है प्रतिवादी नं1 1 के हक में हुआ नामान्तकरण व खातेदारी इन्द्राज अवैध है प्रभावहीन व शुन्य है वादी बाद पत्र के पैरा नं 2 में दर्ज बादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकारी घोषणा कराने का अधिकारी हे और वादी अपने पक्ष में उक्त आराजीयात की खातेदारी इन्द्राज मूर्ति मंदिर महादेव जी व हनुमानजी कस्बा करौली के हक में राजस्व रिकार्ड आफ राईटस में खातेदारी इन्द्राज कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 1 भूमि को दीगर व्यक्तियों को हस्तान्तरण करने पर भूमि स्वरूप परिवर्तन करने पर भूमि से वादी मंदिर को वंचित करने पर आमदा है भूमि मंदिर के खुद काश्त की है मंदिर हित को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी द्वारा की गई अवैध खातेदारी कार्यवाही को देखते हुए जनहित में वादी मंदिर हित में बाद पत्र के पैरा नं 2 में दर्ज भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रतिवादी नम्बर 1 के हक में हुए अवैध प्रभावहीन व शुन्य खातेदारी इन्द्राज की जानकारी वादी को दिनांक 23.4.2010 के दिवस जमाबंदी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015 एवं जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर एवं प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा भूमि बेचान दस्तावेज पंजीयन कराने को आमदा होने पर वादी को पता चलने पर दिनांक 30.4.2010 के दिवस जिला कलेक्टर करौली को वयनामा पंजीयन रूकवाने को आवेदन करने पर व प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा दिनांक 25.9.2010 के दिवस एवं एल एण्ड टी मशीन भूमि में चलवाने पर प्रतिवादी नं 1 द्वारा भूमि स्वरूप परिवर्तन करने व सैकडो हरे वृक्षों को एल एन टी से कटवाने पर उखाडने पर पर्यावरण नष्ट करने पर एवं वादी द्वारा प्रतिवादी नं 1 से एल एन टी नही चलाने की कहने पर एवं प्रतिवादी नं 1 द्वारा भूमि दर्ज बाद पत्र पैरा नम्बर 2 का दीगर व्यक्तियो को हस्तान्तरण करने और आवासीय भवन निर्माण करने कराने की कहने पर और वादी को मंदिर भूमि से लाभ से उपयोग से वचित करने की ऐलानिया कहने पर पैदा हुई हैं। दावा अन्दर मियाद पेश है। पैरा नं 1 में दर्ज भूमि के अलावा खसरा नम्बर 2539, 2544, 2545, 2562, 2563 एवं 2564 पांचना सिचाई परियोजना डूब में चली गई है जिसका मुआवजा भी प्रतिवादी नं 1 मंदिर वादी को धोखा देकर कपट पूर्ण तरीके से स्वयं को खातेदार बताकर मुआवजा धन राशि प्राप्त कर ली है जिसके लिए अलग कार्यवाही की जावेगी। यह बाद पत्र केवल बाद पत्र के पैरा नं 2 में दर्ज आराजीयात के सम्बन्ध मे पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी नं 1 द्वारा दिनांक 30.4.2010 को भूमि बेचान दस्तावेज पंजीयन करवाने पर आमदा होने पर एवं दिनांक 25.9.2010 के दिवस वादग्रस्त भूमि पर एल एन टी मशीन चलाना प्रारम्भ कर रहे वृक्षों को नष्ट करने पर प्रतिवादी की अनाधिकार कार्यवाही है और प्रतिवादी द्वारा अपना कब्जा होना कथित किया जाता है माना जाता है न्यायालय द्वारा कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.20 1
Reason: SelfAtteste

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

प्रतिवादी होना माना जाता है उस स्थिति में वादी मंदिर भूमि पर कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 पूर्णतःअतिक्रमी की हैसियत से होने के कारण बिला अधिकार होने के कारण प्रतिवादी भूमि बादग्रस्त से बेदखल किये जाने योग्य है। और वादी प्रतिवादी नम्बर 1 से बादग्रस्त भूमि दर्ज बाद पत्र पैरा नं 2 पर प्रतिवादी से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। बिनाय दावा प्रतिवादी द्वारा 30.4.2010 के दिवस बेचान दस्तावेज पंजीयन कराने पर आमदा होने पर वादी द्वारा जिला कलेक्टर को आवेदन, कर दस्तावेज पंजीयन होने से रूकवाने पर व प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.9.2010 को एल टी मशीन से खुदाई करने पर प्रतिवादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादी द्वारा नही मानने पर अन्दर अदालत हाजा हुई है दावा अन्दर मियाद पेश है। वादग्रस्त भूमि दर्ज बाद पत्र पैरा नं 2 कृषि भूमि है कस्बा करौली में स्थित है वादी मूर्ति मंदिर कस्बा करौली में स्थित है प्रतिवादी नं 1 कस्बा करौली में स्थाई तौर पर निवास करता है भूमि कस्बा करौली में स्थित है बाद पत्र घोषणा खातेदारी व वादी के हक में किये जाने इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा व दिलाये जाने दखल भूमि है न्यायालय हाजा को बाद सुनवाई का इख्तियार हासिल हैं। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण नंबर 1 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि यह कि आराजीयत मुझ प्रतिवादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। इस मद में दर्ज आराजीयात मुझ प्रतिवादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। सेटिलमेन्ट जमाबंदी के इन्द्राज बिना किसी आधार के विधिविरूद्व हैं जिनसे प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। प्रतिवादी विवादित आराजीयात का जागीर अधिग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव मे आने से पूर्व एवम समय पर खातेदार काश्तकार रहा है। प्रतिवादी विवादित आराजीयात का एकमात्र खातेदार काश्तकार हूं। और विधि का सुस्थापित प्रावधान हैं कि यदि कोई व्यक्ति जागीर अधिग्रहण के समय भूमि मे खातेदार काश्तकार खादिमदार पट्टेदार आदि किसी भी रूप में दर्ज हो रहा है तो वह व्यक्ति उस भूमि का खातेदार विधि अनुसार माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को उस भूमि में हस्तान्तरण योग्य अधिकार प्राप्त होते हैं भूमि शाश्वत नाबालिग के खातेदारी व खुदकाश्त की भूमि नहीं हैं बल्कि मुझ प्रतिवादी के खाातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। मुझ प्रतिवादी के हक में विवादित आराजीयात के खातेदारी अधिकार पूणतया प्रभावशील है अवैध एवम प्रभावशुन्य नहीं है। मुझ प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार वादीगण पर बाध्यकारी हैं। राजस्व विभाग के परिपत्रों से भी स्पष्ट है कि महज सेटिलमेन्ट जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज विधि अनुसार कोई प्रभव नहीं रखते हैं। और खातेदारी अधिकार निर्धारित करने के लिए वादी को जागीर अधिग्रहण अधिनियम के प्रभाव

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.04.20 17:28
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

में आने के समय के दस्तावेजात प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। विवादित आराजी एकमात्र प्रतिवादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। और वादी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खातेदारी इन्द्राजात कराने का अधिकारी नहीं हैं। मुझ प्रतिवादी ने राजस्व कर्मियों से मिलकर कोई अनाधिकार इन्द्राज नही कराये हैं नाही मंदिर के प्रति कोई विपरीत कार्य किया है बल्कि स्वयं वादीगण मंदिर के विपरीत हित रखते हैं प्रतिवादी पुश्तैनी तोर पर मंदिर की सेवापूजा राजभोग करता हैं। वादीगण प्रतिवादी के खातेदारी के इन्द्राज को हटवाने के अधिकारी नहीं हे। वादीगण मंदिर के दर्शनार्थी नही है ना ही मंदिर के नेक्स्ट फ्रेण्ड हैं। वादीगण का इरादा विवादित आराजी पर अवैध कब्जा करने का है। वादीगण को दावा पेश करने का अधिकारी नहीं है। मुझ प्रतिवादी ने विवादित भूमि के किसी स्वरूप को नष्ट नहीं किया है विवादित भूमि मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की नही हैं। विवादित भूमि को प्रतिवादी ने अपनी जिस्मानी मेहनत व लागत लगाकर काबिल काश्त बनाया है और पेड लगाकर पर्यावरण विकसित किया हैं। भूमि में लगाये गये समस्त पेड मुझ प्रतिवादी के हैं। वादीगण इस दावा की आड में मुझ प्रतिवादी की भूमि को जबरन हडपना चाहते हैं और झूठे तथ्यों की शिकायत अपने सहयोगीयों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर महोदय को की है राजस्व विभाग के परिपत्र अनुसार यदि कोई भूमि जागीर अधिग्रहण अधिनियम के प्रभाव में आने के समय किसी व्यक्ति के नाम दर्ज रही है तो ऐसी भूमि में उस व्यक्ति को समस्त हस्तान्तरण योग्य अधिकार प्राप्त होते है और ऐसी भूमियो को पुनःमंदिर के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। मै प्रतिवादी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकासर हूं और वादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद कोई स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं। प्रतिवादी के हक में खातेदारी इन्द्राज पूर्णतया वेध हैं। मैं प्रतिवादी विवादित भूमि को काश्त करता हूं प्रतिवादी ने कोई एल.एन.टी.मशीन दिनांक 25.9.2010 को नही चलायी है नाही किसी हरेवृक्ष को काटा हैं। नाही भूमि में कोई नुकसान किया हैं। अपितु मुझ प्रतिवादी द्वारा उबड खाबड भूमि को काबिल काश्त बनाया है जिससे भूमि उपयोगी हुई हैं। प्रतिवादी द्वारा कोई अवैध कार्यवाही नही की गयी है नाही कभी झगडे पर उतारू रहा है मै प्रतिवादी वृद्ध व्यक्ति हूं और वादीगण ताकतवर व्यक्ति हैं। वादीगण ने दावा महज मुझ प्रतिवादी को पेरशान करने व मेरी भूमि को हडपन के उद्देश्य से प्राप्त किया हैं। बंदोवस्त जमाबंदी संवत 2015 पूर्णतया गलत है बिना किसी आधार के हैं। और ऐसे दस्तावेज से वादी को विवादित भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नही होते हैं मुझ प्रतिवादी के हक में नामान्तकरण पूर्णतया वैध है कपटपूर्ण नहीं हैं। वादी प्रतिवादी के खातेदारी इन्द्राज को कराने का अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादी ने भूमि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नही किया है नाही प्रतिवादी के हक में खातेदारी इन्द्राज

Signature Not V...
Digitally signed by P...
Date: 2026.04.20 17...
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

अवैध है वादीगण जनहित में कार्य नही कर रहे है अपितु वादीगण विवादित भूमि को हडपना चाहते हैं। प्रतिवादी विवादित भूमि पर हमेशा हमेशा काबिबज काश्त है ऐसी दशा मे रिसीवर नियुक्त किए जाने का कोई आधार व औचित्य विधि अनुसार नहीं हैं। वादीगण को दिनांक 23.4.2010 व 30.4.2010, 25.9.2010 अथवा अन्य किसी दिवस को कोई वाद कारण पैदा नही हुआ है वादीगण का दावा म्याद बाहर हैं। प्रतिवादी इस मद में दर्ज आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहा है और सरकार द्वारा मुआवजा राशि प्रतिवादी को विधि अनुसार संपूर्ण जांच के पश्चात दी गयी हैं। कोई कपटपूर्ण कार्य वाही प्रतिवादी के द्वारा नही की गयी हैं। प्रतिवादी की कोई कार्यवाही अनाधिकार नहीं हैं। वादीगण के हक पर कोई आघात नही हैं। नाही वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति हैं। मंदिर का रागभोग हमेशा से प्रतिवादी करता हैं। प्रतिवादी द्वारा कोई अनाधिकार कार्यवाही नही कि है नाही वृक्षों को काटा है नाही भूमि का स्वरूप परिवर्तित किया है प्रतिवादी का विवादित भूमि पर कब्जा वाहैसियत खातेदार काश्तकार हे प्रतिवादी विवादित भूमि पर साधिकार काबिज है प्रतिवादी अतिक्रमी नहीं हैं। वादीगण मुझ प्रतिवादी को विवादित भूमि से बेदखल कराने के अधिकारी नहीं है। अंत मे दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

1. आया विवादित आराजीयात दर्ज वादपत्र मद नंबर 1 वादी मंदिर श्री महादेवजी व हनुमाजी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादीगण वादी मंदिर के हक में खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है।

–वादीगण

2. आया विवादित आराजीयात दर्ज वादपत्र मद नं. 1 वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

–वादीगण

3. आया वादीगण को दावा दायर मंदिर की आरे से करने का नहीं है। इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है।

–प्रतिवादी

4. आया दावा वादीगण म्याद वहार है। चलने योग्य नहीं है।

–प्रतिवादी

5. अनुतोषः–

वाद विवाधक बिन्दु वादीगण साक्ष्य की गयी। वादीगण ने वादी साक्ष्य में pw1 शिम्भुदयाल के बयान लेखवद्ध कराये है एवं दस्तावेजी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not V
Digitally signed by P
Date: 2026.04.20 17
Reason: SelfAttest

सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत् 2015 प्रर्दश –1 एवं नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–2 एवं नकल जमाबंदी संवत 2019–22 प्रदर्श–3 पेश की है। साक्ष्यवादी समाप्त कर बन्द की गयी।

प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये एवं दिनांक 07.10.2025 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस वकील वादीगण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजी वादी मंदिर के खुदकाश्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। जिसके इन्द्राज जमबांदी संवत 2015 व जमाबंदी 2019–22 में वादी मंदिर के हक में दर्ज है। प्रतिवादी ने संवत 2022 के वाद अपने हक में मंदिर भूमि के गलत खातेदारी इन्द्राज करा लिये है और भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन वय करने पर आमादा है और मंदिर भूमि के स्वरूप को बदल कर नष्ट करना चाहता है और हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन कराकर मंदिर की भूमि को बेचान करने पर आमादा है। इस बाबत वादीगण ने दिनांक 30.04.2010 को जिला कलक्टर करौली को आवेदन भी किया है। वादीगण मंदिर के नेक्स्ट फ्रेण्ड और दर्शनार्थी है। वादीगण ने हितों की रक्षा के लिए यह वाद पेश किया है। वादीगण भूमि को मंदिर के नाम इन्द्राज कराने और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार है। वादीगण ने मौखिक साक्ष्य व दस्तोवज से अपने वादपत्र को साबित किया है। दावा वादीगण डिक्री किया जावे।

बहस वकील वादी का मनन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीवाद विवेचन निम्न प्रकार है:–

तनकी नम्बर 01 व 02 एक–दूसरे के पूरक है इसलिए दोनों का एक साथ विवेचन किया जाना उचित है। विवाद्यक संख्या 01 व 02 को साबित करने के लिए वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2015 प्रदश–1 व नकल जमाबंदी संवत 2019–22 प्रदर्श–3 पेश की है जिसमें भूमि वादी मंदिर के खुदकाश्त में दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी संवत 2064–67 पेश की है जिसमें भूमि प्रतिवादी नंबर 01 के नाम दर्ज है। वादीगण ने भूमि पर मंदिर वादी का खुदकाश्त काबिज होना पीडब्ल्यू–1 शिम्भुदयाल ने बताया है। जिसका प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। भूमि खुद काश्त मंदिर होने से प्रतिवादी नंबर 1 के हक में दर्ज हुए खातेदारी इन्द्राज अवैध है। भूमि को मंदिर के नाम दर्ज कराने के वादीगण हकदार है। अतः विवाद्यक संख्या 01 व 02 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 03 व 04 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे भूमि प्रतिवादी नंबर 01 के खातेदारी की हो। अतः विवाद्यक संख्या 03 व 04 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Ver
Digitally signed by Pre
Date: 2026.04.20 17:
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 05 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 01 व 02 के विवेचन से एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–1 एवं जमाबंदी संवत 2019–22 प्रदर्श–3 से भूमि वादी मंदिर की खुदकाश्त खातेदारी व कब्जे की होना प्रमाणित है। प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2064–67 में प्रतिवादी नंबर 1 के हक में दर्ज खातेदारी इन्द्राज अवैध है अनाधिकार है और राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी से हटाये जाने योग्य है और वादी मंदिर के हक में खातेदारी घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता है। दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण ड्रिक्री किया जाता है। वादी मंदिर महादेवजी व हनुमानजी विराजमान कस्बा करौली को आराजी खसरा नंबर 2539, 2544, 2545, 2562, 2563, 2564 कुला किता 6 कुला 8 बीघा 12 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर–8 तहसील करौली का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 2 वादी मंदिर के हक में प्रतिवादी दौलतपुरी चेला शंकरपुरी गुंसाई सा.देह का नाम जमाबंदी से हजफ कर वादी मंदिर के हक में खातेदारी इन्द्राज जमाबंदी में अमल करें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी मंदिर के कब्जे में व्यवधान नहीं करें। प्रतिवादी नंबर 2 प्रतिवादी नंबर 1 को बेदखल कर कब्जा मूर्ति मंदिर वादी को दखल कराकर दिलावें। तहसीलदार, करौली वादग्रस्त भूमि मंदिर की कमेटी बनाकर काश्त इंतजाम करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/10/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.04.20 17:28:38 IST
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)